2007:CGHC:275

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 1594 / 2006

याचिकाकर्ता: प्रबंध निदेशक, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को)

बनाम

उत्तरवादीगण: नियंत्रक प्राधिकारी, अंतर्गत उपदान संदाय अधिनियम, 1972 कार्यालय, सहायक श्रम आयुक्त एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश के लिए 8 जनवरी, 2007 को नियत करें ।

हस्ताक्षरित/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

2007:CGHC:275

रिट याचिका संख्या 1594 / 2006

याचिकाकर्ता: प्रबंध निदेशक, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को)

बनाम

उत्तरवादीगण: नियंत्रक प्राधिकारी, अंतर्गत उपदान संदाय अधिनियम, 1972 कार्यालय, सहायक श्रम आयुक्त एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति **श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश**

याचिकाकर्ता की ओर से श्री एन.एस. काले, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री अभिषेक सिन्हा, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 1 से 4 की ओर से श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 2 और 3 की ओर से डॉ. एन.के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता।

आदेश

(8 जनवरी, 2007 को पारित)

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता ने उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (इसके बाद 'अधिनियम, 1972' के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 4.3.2006 के आक्षेपित आदेश (पी/7) की वैधता को चुनौती दी है।

2007:CGHC:275

2. मामले के अविवादित तथ्य यह हैं कि उत्तरवादी क्रमांक 2 याचिकाकर्ता के कंपनी का एक कर्मचारी है। याचिकाकर्ता के अनुसार, उत्तरवादी क्रमांक 2 को दिनांक 15 जुलाई, 2003 के आदेश (पी/1) द्वारा सहायक तकनीकी अधिकारी के पद पर उन्नत किया गया था। दिनांक 15 नवंबर, 2005 के नोटिस (पी/2) द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि वह 31 जनवरी, 2006 को अधिवर्षिकी की आयु, अर्थात् 58 वर्ष, पूरी कर लेगा। इसके बाद उत्तरवादी क्रमांक 2/कर्मचारी ने दिनांक 7.1.2006 को उपदान के लिए एक आवेदन (पी/3) प्रस्तुत किया।

3. उत्तरवादी क्रमांक 2/कर्मचारी ने इसके बाद दिनांक 30.1.2006 को इस न्यायालय में एक रिट याचिका (रिट याचिका संख्या 513/2006) दायर की, जिसमें दिनांक 15.11.2005 के नोटिस/आदेश को रद्द करने और याचिकाकर्ता को एक श्रमिक होने के नाते 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। बाद में, यह याचिका दिनांक 31.1.2006 के आदेश (पी/4) द्वारा वापस लेने के कारण खारिज कर दी गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उत्तरवादी क्रमांक 2/कर्मचारी ने नियंत्रक प्राधिकारी/उत्तरवादी क्रमांक 1 के समक्ष उपदान के संदाय के लिए अपना आवेदन रद्द करने हेतु एक आवेदन (पी/6) दायर किया। इसके बाद, उत्तरवादी क्रमांक 2 ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत निरीक्षक के समक्ष एक शिकायत दायर की, जिसमें उसने स्वयं को एक श्रमिक बताया और कहा कि उसे लागू स्थायी आदेशों के उल्लंघन में सेवानिवृत्त किया गया था। अधिनियम, 1972 के तहत उत्तरवादी क्रमांक 1/नियंत्रक प्राधिकारी ने दिनांक 4.3.2006 को आदेश (पी/7) पारित किया कि अधिवर्षिता का पत्र अधिनियम, 1972 की धारा 4 (1) का उल्लंघन था और उत्तरवादी क्रमांक 2 नियम 5 (घ) के अनुसार 60 वर्ष की आयु में अधिवर्षिता तक जारी रहेगा। स्थायी आदेश के नियम 5 (घ) के अनुसार, याचिकाकर्ता को यह भी निर्देश दिया गया कि वह उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत चेक को भुनाए, क्योंकि उपदान (ग्रैच्युटी) का संदाय अधिवर्षिता की तिथि पर देय होगा।

5. इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 1/नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 4.3.2006 के आक्षेपित आदेश (पी/7) को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की है:

(i) आक्षेपित आदेश कानून में गलत था क्योंकि यह पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर पारित किया गया था।

(ii) अधिनियम, 1972 के तहत उत्तरवादी क्रमांक 1 के पास कर्मचारी की स्थिति या किसी कर्मचारी की अधिवर्षिता पर निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है।

(iii) उत्तरवादी क्रमांक 1 के पास उपदान और भविष्य निधि की ओर संदाय की गई रकम की वापसी का निर्देश देने का भी कोई अधिकार नहीं है और यह आदेश उपदान संदाय (केंद्रीय) नियम, 1972 (इसके बाद 'नियम, 1972' के रूप में संदर्भित) के नियम 17 के प्रावधानों के विपरीत है।

6. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित श्री एन.एस. काले, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ श्री अभिषेक सिन्हा, विद्वान अधिवक्ता ने पूर्वोक्त कथन प्रस्तुत किया। विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश को इस आधार पर रद्द किया जाना चाहिए कि यह अक्षम अधिकारी द्वारा पारित किया गया है जिसके पास ऐसा आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. उत्तरवादी क्रमांक 2 और 3 की ओर से उपस्थित डॉ. एन.के. शुक्ला, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ श्री राजीव श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता, और उत्तरवादी क्रमांक 1 और 4 की ओर से उपस्थित श्री वी.वी.एस. मूर्ति, विद्वान उप महाधिवक्ता, इसके विपरीत, यह तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी क्रमांक 1/नियंत्रक प्राधिकारी को उपदान (ग्रैच्युटी) के संदाय की शक्ति प्राप्त है, और यदि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले उपदान का संदाय गलत तरीके से किया गया है, तो उत्तरवादी क्रमांक 1 के पास उपदान की वापसी का निर्देश देने की अंतर्निहित शक्ति है। चूंकि उत्तरवादी क्रमांक 1 के पास उपदान के संदाय का निर्णय लेने की शक्ति है, इसलिए यह तय करने की आनुषंगिक शक्ति कि क्या किसी कर्मचारी को सही ढंग से अधिवर्षिता दी गई है या नहीं, इसी प्राधिकारी में निहित है और प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश सही, कानूनी और वैध है।

8. उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर अत्याधिक भरोसा किया, जो **स्टेट ऑफ पंजाब बनाम लेबर कोर्ट, जालंधर व अन्य**[1] के मामले में और मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय पर, जो **मैनेजमेंट ऑफ पिथावडियन बनाम कंट्रोलिंग अथॉरिटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी एक्ट**

1972 मद्रास व अन्य[2] के मामले में दिए गए थे। यह भी तर्क दिया गया कि अधिनियम, 1972 की धारा 7 (7) के तहत एक वैकल्पिक उपाय निर्धारित है और अधिनियम, 1972 की धारा 7 (7) के तहत राज्य सरकार को अपील करने के उपाय का सहारा लिए बिना, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

9. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिवचनों तथा उससे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। यह सुस्थापित है कि उपदान संदाय अधिनियम एक स्व-निहित संहिता है जिसमें उपदान के संदाय से संबंधित सभी आवश्यक प्रावधान शामिल है। जिसका दावा इस अधिनियम के तहत किया जा सकता है, और इसके प्रावधान विवक्षित रूप से उस उद्देश्य के लिए किसी अन्य कानून का सहारा लेने से रोकते हैं। इस याचिका में उठाए गए विवाद को समझने के लिए, अधिनियम, 1972 के प्रासंगिक प्रावधानों और नियम, 1972 के नियम 17 को उद्धृत करना आवश्यक है। प्रासंगिक प्रावधान नीचे उद्धृत किए गए हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>अधिनियम, 1972 की धारा 3 इस प्रकार है:</u>

"धारा 3. नियंत्रक प्राधिकारी - समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी अधिकारी को नियंत्रक प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है, जो इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा और विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्राधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं।"

<u>अधिनियम, 1972 की धारा 4 इस प्रकार है:</u>

"धारा 4. उपदान का संदाय - (1) किसी कर्मचारी को उसकी सेवा समाप्ति पर, जब उसने कम से कम पांच वर्ष की निरंतर सेवा प्रदान की हो, उपदान देय होगा, -

(क) उसके अधिवर्षिता पर, या

(ख) उसके सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र पर, या

(ग) उसकी मृत्यु या दुर्घटना या बीमारी के कारण निःशक्तता पर:

परंतु जहां किसी कर्मचारी की सेवा समाप्ति मृत्यु या निःशक्तता के कारण हो, वहां पांच वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करना आवश्यक नहीं होगा:"

(2) XXX XXX XXX

(3) XXX XXX XXX

(4) XXX XXX XXX

(5) XXX XXX XXX

(6) XXX XXX XXX

अधिनियम, 1972 की धारा 7 इस प्रकार है:

"धारा 7. उपदान की रकम का अवधारण - (1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत उपदान के संदाय के लिए पात्र है या उसकी ओर से कार्य करने के लिए लिखित रूप में अधिकृत कोई व्यक्ति, ऐसे समय में और ऐसे प्रपत्र में, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, ऐसे उपदान के संदाय के लिए नियोक्ता को एक लिखित आवेदन भेजेगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) XXX XXX XXX

(3) XXX XXX XXX

(4) (क) यदि इस अधिनियम के तहत किसी कर्मचारी को देय उपदान की रकम के संबंध में, या उपदान के संदाय के लिए किसी कर्मचारी के दावे की अनुज्ञेयता के संबंध में, या उपदान प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के संबंध में कोई विवाद है, तो नियोक्ता नियंत्रक प्राधिकारी के पास उतनी रकम जमा करेगा जितनी वह उपदान के रूप में देय स्वीकार करता है।

[XXX]

[(ख) जहां खंड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले या मामलों के संबंध में कोई विवाद है, वहां विवाद उठाने वाला नियोक्ता या कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति विवाद का निर्णय करने के लिए नियंत्रक प्राधिकारी को एक आवेदन कर सकता है।]

(ग) नियंत्रक प्राधिकारी, उचित जांच के बाद और विवाद के पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, विवादित मामले या मामलों का निर्धारण करेगा और यदि, ऐसी जांच के परिणामस्वरूप, कर्मचारी को कोई रकम देय पाई जाती है, तो नियंत्रक प्राधिकारी नियोक्ता को ऐसी रकम का संदाय करने का निर्देश देगा, या, जैसा भी मामला हो, नियोक्ता द्वारा पहले से जमा की गई रकम को घटाकर ऐसी रकम का संदाय करने का निर्देश देगा।]

(5) XXX XXX XXX

(6) XXX XXX XXX

(7) उप-धारा (4) के तहत किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर, समुचित सरकार या ऐसे अन्य प्राधिकारी को अपील कर सकता है जैसा कि समुचित सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है:

बशर्ते कि समुचित सरकार या अपीलीय प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को उक्त साठ दिनों की अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो उक्त अवधि को और साठ दिनों की अवधि तक बढ़ा सकती है:

[बशर्ते कि नियोक्ता द्वारा कोई भी अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि अपील प्रस्तुत करते समय, अपीलकर्ता या तो नियंत्रक प्राधिकारी का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है कि उसने उप-धारा (4) के तहत जमा की जाने वाली उपदान की रकम के बराबर रकम उसके पास जमा कर दी है, या अपीलीय प्राधिकारी के पास ऐसी रकम जमा नहीं करता है।]

(8) समुचित सरकार या अपीलीय प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, नियंत्रक प्राधिकारी के निर्णय की पुष्टि, संशोधन या उसे उलट सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>नियम, 1972 का नियम 17 इस प्रकार है:</u>

"नियम 17. उपदान के संदाय के लिए निर्देश यदि नियम 11 के उप-नियम (4) के तहत यह निष्कर्ष दर्ज किया जाता है कि आवेदक अधिनियम के तहत उपदान के संदाय का हकदार है, तो नियंत्रक प्राधिकारी संबंधित नियोक्ता को फॉर्म 'R' में एक नोटिस जारी करेगा जिसमें देय रकम निर्दिष्ट की जाएगी और नियोक्ता द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर नियंत्रक प्राधिकारी को सूचना देते हुए आवेदक को उसका संदाय करने का निर्देश दिया जाएगा। नोटिस की एक प्रति आवेदक कर्मचारी, नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को, जैसा भी मामला हो, पृष्ठांकित की जाएगी।"

10. पूर्वोक्त प्रावधानों का अवलोकन मात्र यह स्पष्ट करता है कि नियंत्रक प्राधिकारी इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है जो उपदान के संदाय का प्रावधान करता है। अधिनियम, 1972 की धारा 4 यह बताती है कि एक कर्मचारी कब उपदान के संदाय का हकदार होता है, चाहे वह उसकी अधिवर्षिता पर हो, या उसकी सेवानिवृत्ति

या त्यागपत्र पर हो, या दुर्घटना या बीमारी के कारण उसकी मृत्यु या अक्षमता पर हो। अधिनियम, 1972 की धारा 7 एक कर्मचारी को उपदान की रकम के निर्धारण का प्रावधान करती है जो अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत उपदान के अनुदान के लिए पात्र है। यह आगे अधिनियम, 1972 के तहत कर्मचारी को देय उपदान की रकम के संबंध में विवाद के समाधान का भी प्रावधान करती है। अधिनियम, 1972 की धारा 7 की उप-धारा (7) केवल अधिनियम, 1972 की धारा 7 की उप-धारा (4) के तहत उपदान की रकम के निर्धारण के संबंध में अपील का प्रावधान करती है। यदि पूरे अधिनियम को समग्र रूप से पढ़ा जाए, तो यह अधिवर्षिता की आयु के निर्धारण का प्रावधान नहीं करता है। यह मूल विवाद कि क्या उत्तरवादी क्रमांक 2 एक श्रमिक था या नहीं, अधिनियम, 1972 के तहत नियंत्रक प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र के दायरे में नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब बनाम लेबर कोर्ट, जालंधर व अन्य** (पूर्वोक्त) के मामले में यह अधिनिर्धारित किया कि उपदान संदाय अधिनियम एक पूर्ण संहिता होने के कारण, इसमें उपदान के संदाय की योजना की सभी आवश्यक विशेषताओं को शामिल करने वाले विस्तृत प्रावधान हैं, यह उपदान के संदाय का अधिकार बनाता है, यह इंगित करता है कि अधिकार कब उत्पन्न होगा, और उपदान की मात्रा के निर्धारण के लिए सिद्धांतों को निर्धारित करता है। यह आगे रकम की वसूली का प्रावधान करता है, और इसमें एक विशेष प्रावधान है कि विलंबित संदाय पर नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा। इसके अतिरिक्त, अपने प्रावधानों को लागू करने के लिए, अधिनियम एक नियंत्रक प्राधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है, जिसे अधिनियम के प्रशासन का कार्य सौंपा गया है। पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों की पूर्ति उसकी जिम्मेदारी बनाई गई है, और उसे उस जिम्मेदारी के पूर्ण निर्वहन के लिए व्यापक शक्ति प्रदान की गई है।

12. **मैनेजमेंट ऑफ पिथावडियन बनाम कंट्रोलिंग अथॉरिटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी एक्ट 1972 मद्रास व अन्य** (पूर्वोक्त) के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। उस मामले में, मुख्य प्रश्न जैसा कि अधिनियम, 1972 की धारा 1 (3) में व्याख्या किया गया है, आर्किटेक्ट्स और प्लानर्स पर उपदान संदाय अधिनियम की प्रयोज्यता से संबंधित था।

13. उपरोक्त प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकनों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि अधिनियम, 1972 अधिवर्षिकी की आयु से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन का प्रावधान नहीं करता है। विशेष रूप से इस मामले के तथ्यों में, जहां कर्मचारी के अनुसार वह एक श्रमिक है और याचिकाकर्ता के अनुसार, दिनांक 15.07.2003 के आदेश से उसे सहायक तकनीकी अधिकारी के पद पर उन्नत किया गया है और वह श्रमिक नहीं है। इस विवाद का न्यायनिर्णयन इस अधिनियम के तहत नहीं, बल्कि किसी अन्य प्रावधान के तहत किया जा सकता है।

14. उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत तर्क के संबंध में कि अधिनियम के तहत एक वैकल्पिक वैधानिक अपील का प्रावधान है। अधिनियम, 1972 की धारा 7 की उप-धारा (7) के तहत अपील के प्रावधानों को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि अपील केवल उपदान रकम के निर्धारण के संबंध में है। वर्तमान मामले में, प्रश्न यह है कि क्या कर्मचारी (अर्थात् उत्तरवादी क्रमांक 2) एक श्रमिक है जो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अधिवर्षिकी का हकदार होगा या एक पर्यवेक्षक, जिसकी अधिवर्षिकी की आयु 58 वर्ष है। वैकल्पिक वैधानिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर रिट याचिका को स्वीकार न करना विवेकाधीन है, और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, जब प्रश्न नियंत्रक प्राधिकारी की सक्षमता का है, तो मेरी सुविचारित राय है कि इस याचिका को वैकल्पिक वैधानिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. परिणामस्वरूप और ऊपर बताए गए कारणों से, दिनांक 04.03.2006 के आक्षेपित आदेश (पी/7) को अक्षम अधिकारी (अर्थात् नियंत्रक प्राधिकारी) द्वारा पारित होने के कारण रद्द किया जाता है। हालांकि, इस मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना कि क्या कर्मचारी/उत्तरवादी क्रमांक 2 एक श्रमिक है या नहीं, उत्तरवादी क्रमांक 2/कर्मचारी को अपनी स्थिति के निर्धारण के लिए एक उपयुक्त मंच पर जाने की स्वतंत्रता है।

16. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

हस्ताक्षरित/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

---

1. (1990) 1 एससीसी 4

2. (1984 लैब. आई. सी. 1298)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By AJEY KUMAR ...